झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० 722/2024

सुरेश कुमार हाइबुरू @ सुरेश कुमार हाइबु, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता स्वर्गीय हरिचरण हाइबुरू, निवासी - मधुबन गोबरघाटी, डाकघर+थाना- डुबरी, जिला- जाजपुर (ओडिशा) ..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. मारकस छोटेलाल देवगम, पिता स्वर्गीय सुरा देवगम, निवासी- ग्राम- मंझारी, काठभारी, पो.- तांतनगर, थाना - मझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : सुश्री श्रुति श्रेष्ठ, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पी.पी.

ओ.पी. संख्या 2 की ओर से : श्री विपुल पोद्दार, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा क्रमांक 9 (vi) में बताई गई खामी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

3. स्टाम्प रिपोर्टर द्वारा क्रमांक 9 (vi) में इंगित किये गए दोष की अल्पता को ध्यान में रखते हुए, उसे नजरअंदाज किया जाता है।

4. यह आपराधिक विविध याचिका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत मंझारी थाना केस संख्या 04/2022 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ एफ.आई.आर को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें जांच चल रही है और याचिकाकर्ता

11.02.2024 से हिरासत में है और उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष लंबित है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अन्तरिम आवेदन संख्या 2554/2024 की ओर आकर्षित करते हैं जो विपक्षी पक्ष संख्या 2-सूचनाकर्ता की ओर से प्रतिवादी संख्या 2-सूचनाकर्ता के शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन है जिसमें कहा गया है कि पक्षों के बीच विवाद तथा मतभेद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिये गये हैं तथा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष समझौता याचिका भी दायर की गयी है, जो संक्षिप्त विवरण के अनुलग्नक-4 पृष्ठ-30 पर रखी गयी है तथा सूचनाकर्ता को पहले ही 20,00,000/- रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा याचिकाकर्ता ने उसके द्वारा सूचनाकर्ता को देय शेष राशि के लिए उत्तर दिनांकित चेक पहले ही जारी कर दिये हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक निजी विवाद है तथा इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि पक्षों के बीच हुए समझौते को देखते हुए, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते को देखते हुए, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ.आई.आर. और मंझारी थाना केस संख्या 04/2022 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौता के मद्देनजर, राज्य को एफ.आई.आर. के साथ-साथ मंझारी थाना कांड संख्या 04/2022 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष लंबित है।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध

सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परबतभाई अहीर @ **परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641** में रिपोर्ट किए गए मामले में, पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विचार करने का अवसर मिला था और पैराग्राफ संख्या 11 में निम्नानुसार माना गया है:-

> "11. धारा 482 में एक प्रमुख प्रावधान है। यह क़ानून उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय के रूप में ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करता है जो (i) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सी.) 1188: (2013) 1 एससीसी (क्री.) 160: (2012) 2 एससीसी (एल&एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल कायम की और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन पर उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में एफ.आई.आर या शिकायत को रद्द किया जाए या नहीं। उच्च न्यायालय को जिन बातों पर विचार करना चाहिए वे हैं: (एससीसी पृ. 342-43, पैरा 61)
>
> > "61. ... अपने निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी आपराधिक कार्यवाही या एफआईआर या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति, कोड की धारा 320 के तहत अपराधों को कम करने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और भिन्न है। निहित शक्ति व्यापक है और इसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है, जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध उचित रूप से निरस्त नहीं किए जा सकते, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों के तहत अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन आपराधिक मामले, जिनमें मुख्य रूप से सिविल मामले शामिल हैं, निरस्तीकरण के लिए अलग आधार पर आते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या ऐसे ही अन्य लेन-देन से उत्पन्न अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न अपराध या पारिवारिक विवाद, जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को बहुत अधिक उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्याय के हित के विरुद्ध होगा या पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न(ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के अपने अधिकार क्षेत्र में होगा। (जोर दिया गया)"

8. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पक्षों के बीच पूरी तरह से निजी विवाद से संबंधित हैं।

9. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण समझौता हो जाने के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से याचिकाकर्ता को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।

10. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें प्राथमिकी के साथ-साथ मंझारी थाना मामला संख्या 04/2022 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है, को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

11. तदनुसार, एफ.आई.आर. तथा मंझारी थाना मामला संख्या 04/2022 से उत्पन्न सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष लंबित है, को याचिकाकर्ता के पक्ष में खारिज किया जाता है।

12. यदि याचिकाकर्ता अभी भी हिरासत में है, तो विद्वान ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

13. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत हो जाती है।

14. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के मद्देनजर, I.A संख्या 2554/2024 का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित-11 मार्च, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।